भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 665

दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल की समस्या

665. डा॰ शशिकला पुष्पा रामास्वामीः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पारिप्रणाली, कृषि और सौर ऊर्जा क्षेत्रों के प्रतिस्पर्धी दबाव के चलते पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी बस्ती की जनसंख्या के अनुपात में किसी विशिष्ट क्षेत्र/जल निकायों सहित किसी अवस्थिति को पेयजल के उद्देश्य से जल संसाधन के रूप में चिन्हित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) से (ड़) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय सभी ग्रामीण बसावट में सुरक्षित पेयजल के कवरेज हेतु राज्य सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों को पूरा करता है। राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की योजना बनाने, डिजाइन करने, लागू करने, तथा क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत हैं। राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि मनरेगा जैसी स्कीमों का तालमेल करके तथा, अपने राज्य अधिनियमों के अंतर्गत जल संसाधन के रूप में जल निकायों सहित विशिष्ट स्थलों को चिह्नित करने सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से पेयजल स्रोतों की निरंतरता में सुधार लाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।